प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.08.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 03.08.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना को आधार पर गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त शशि पुत्र भूप सिंह निवासी म0न0 ए-2/491 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली-93 उम्र करीब 40 वर्ष को साईं चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शशि पुत्र भूप सिंह उपरोक्त थाना इन्दिरापुरम पर धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वाछिँत चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त शशि पुत्र भूप सिंह उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त शशि पुत्र भूप सिंह उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा गिरोह बनाकर अवैध धन अर्जित करने के लिए स्नैचिंग(झपटमारी) जैसे संगीन अपराध कारित किये गये है। इनके द्वारा इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत स्नैचिंग(झपटमारी) की घटनाएँ कारित की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शशि पुत्र भूप सिंह निवासी म0न0 ए-2/491 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली-93 उम्र करीब 40 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त शशि पुत्र भूप सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर स्नैचिंग(झपटमारी) व गैगंस्टर एक्ट के सम्बन्ध में 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को अभियुक्त रवि कुमार द्वारा बहला-फुसलाकर करीब 05 माह से लगातार गलत काम करना व जान से मारने की धमकी देना, उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 64(2)M, 351(3) बीएनएस व 5(L)/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 03.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरी और पीडिता की काफी समय से बातचीत थी। मैंने पीडिता को बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

रवि कुमार पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 02.08.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री राजेश शर्मा निवासी गांधी नगर थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटर साइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुंसगत धारा 303(2) BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 02.08.2025 की रात्रि में थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त फराज पुत्र रफीक निवासी पप्पू कॉलोनी विक्रम एकंलेव गली न0 2 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ में अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने माडर्न पैट्रोल पम्प सतीश पार्क के पास से चोरी की थी और इसे मैं लेकर खरखौदा जनपद मेरठ बेचने जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

फराज पुत्र रफीक निवासी पप्पू कालोनी विक्रम एकंलेव गली न0 2 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

उक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना मसूरी पर आयुध अधिनियम के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया, कब्जे से चोरी की 06 मोटर साइकिल व 03 स्कूटी (कुल 09 वाहन) बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 02/03.08.2025 की रात्रि में थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चौकी सीमा क्षेत्रान्तर्गत भडाना कट के पास से चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. विवेक पुत्र कंछी सिंह निवासी एच 702 गली नं0 6 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष व 2. कार्तिक पोनिया पुत्र राजेश पोनिया निवासी म0नं0 बी 36 गुरुद्वारा रोड जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद हुईं। उपरोक्त क्रम में दोनों अभियुक्त व बालअपचारी की निशानदेही रेलवे ट्रेक के पास स्थित जंगल की झाड़ियों से 04 मोटर साइकिल व 03 स्कूटी बरामद हुईं। दोनों अभियुक्त व बालअपचारी से 06 मोटर साइकिल व 03 स्कूटी (कुल 09 वाहन) बरामद हुईं। दोनों अभियुक्त व बालअपचारी उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धारा - 317(2), 317(5).112 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- दोनों अभियुक्त व बालअपचारी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि। दोनों अभियुक्त व बालअपचारी गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना कारित करते है। तीनों आर्थिक लाभ कमाने के लिये वाहन चोरी करते हैं। दोनों अभियुक्त व बालअपचारी उपरोक्त मोटर साइकिल बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में घूम रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. विवेक पुत्र कंछी सिंह निवासी एच 702 गली नं0 6 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
2. कार्तिक पोनिया पुत्र राजेश पोनिया निवासी म0नं0 बी 36 गुरुद्वारा रोड जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

3. 01 बाल अपचारी(पुलिस हिरासत) ।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 06 मोटर साइकिल व 03 स्कूटी (कुल 09 वाहन) बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- अभियुक्त विवेक उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर वाहन चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग व दिल्ली में वाहन चोरी के सम्बन्ध में 07 अभियोग पंजीकृत है । कुल 09 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।
- अभियुक्त कार्तिक पोनिया उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर वाहन चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग व दिल्ली में वाहन चोरी के सम्बन्ध में 07 अभियोग पंजीकृत है । कुल 09 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।
- बाल अपचारी उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर वाहन चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग व दिल्ली में वाहन चोरी के सम्बन्ध में 07 अभियोग पंजीकृत है । कुल 09 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।